रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12022022-233372
CG-DL-E-12022022-233372

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 108] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 11, 2022/माघ 22, 1943
No. 108] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 11, 2022/MAGHA 22, 1943

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फ़रवरी, 2022

सा.का.नि. 110(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 67 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 90, धारा 164, धारा 165, धारा 167, धारा 206 की उपधारा (5), धारा 207 की उपधारा (3), धारा 252 और धारा 439 के उपबंध इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट किए गए उपांतरणों के साथ जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, सीमित दायित्व भागीदारी के लिए लागू होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्र.सं.	कंपनी अधिनियम, 2013 में भाग/अध्याय/धारा संख्या/उपधारा	उपांतरण
(1)	(2)	(3)
1.	धारा 90 की उपधारा (1) से उपधारा (11) तक	(i) "शेयर" शब्द जहां कहीं भी आता है, के स्थान पर "अंशदान" शब्द रखा जाएगा; (ii) "कंपनी" शब्द जहां कहीं भी आता है, के स्थान पर "सीमित दायित्व भागीदारी" शब्द रखा जाएगा; (iii) "सदस्य" शब्द जहां कहीं भी आता है, के स्थान पर "भागीदार"

		शब्द रखा जाएगा; (iv) "अधिकारी" शब्द जहां कहीं भी आता है, के स्थान पर "भागीदार" या "नामनिर्दिष्ट भागीदार" शब्द रखे जाएंगे;
2.	धारा 164	
	उपधारा (1)	(i) "के रूप में नियुक्ति" शब्द जहां कहीं भी वे आते हैं, के स्थान पर "होने" शब्द रखे जाएंगे; (ii) "निदेशक" शब्द जहां कहीं भी आता है, के स्थान पर "नामनिर्दिष्ट भागीदार" शब्द रखे जाएंगे; (iii) "कंपनी" शब्द जहां कहीं भी आता है, के लिए "सीमित दायित्व भागीदारी" शब्द रखे जाएंगे;
	उपधारा (2)	उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:- "(2) कोई व्यक्ति, जो किसी कंपनी का निदेशक या सीमित दायित्व भागीदारी का नामनिर्दिष्ट भागीदार है या रहा है, यथास्थिति, जिसने – (क) जिसने तीन वित्तीय वर्षों की निरंतर अवधि के लिए वित्तीय विवरण या लेखा और ऋण शोधन विवरण या वार्षिक विवरणी, यथास्थिति, फाइल नहीं की हैं; या (ख) जो उसके द्वारा स्वीकृत निक्षेपों का प्रतिसंदाय या उस पर ब्याज का संदाय या नियत तारीख को किन्हीं डिबेंचरों का मोचन करने या उन पर शोध्य ब्याज का संदाय करने या घोषित किसी लाभांश का संदाय करने में असफल रहा है और संदाय या मोचन करने में ऐसी असफलता एक वर्ष या उससे अधिक के लिए जारी रहती है, सीमित दायित्व भागीदारी का नामनिर्दिष्ट भागीदार बनने या बने रहने या किसी अन्य सीमित दायित्व भागीदारी का नामनिर्दिष्ट भागीदार बनने के लिए उस तारीख से जिसको जहां उक्त कंपनी या सीमित भागीदारी ऐसा करने में असफल रहती है, पांच वर्ष की अवधि के लिए पात्र नहीं होगा : परंतु कि, जहां कोई व्यक्ति किसी सीमित दायित्व भागीदारी, जो खंड (क) या खंड (ख) में चूककर्ता है, का नामनिर्दिष्ट भागीदार के रूप में बनता है तो वह नामनिर्दिष्ट भागीदार बनने की तारीख से छह माह की अवधि के लिए निरर्हक नहीं होगा।"
3.	धारा 165 में	
	उपधारा (1)	उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:- (1) "कोई व्यक्ति बीस सीमित दायित्व भागीदारियों से अधिक में नामनिर्दिष्ट भागीदार नहीं बन सकता।";
	उपधारा (3)	उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:-

		"(3) उपधारा (1) में यथाविनिर्दिष्ट सीमा से अधिक सीमित दायित्व भागीदारियों में नामनिर्दिष्ट भागीदार के रूप में पदधारण करने वाला कोई व्यक्ति जिसने इस अधिसूचना के तत्काल पहले ऐसी अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर,- (क) उन सीमित दायित्व भागीदारियों की विनिर्दिष्ट सीमा से अनधिक का ऐसी सीमित दायित्व भागीदारियों के रूप में चुनाव करेगा जिसमें वह नामनिर्दिष्ट भागीदार के पद पर बने रहने की वांछा रखता है; (ख) अन्य शेष सीमित दायित्व भागीदारियों में नामनिर्दिष्ट भागीदार के रूप में अपने पद से त्याग पत्र देगा; और (ग) खंड (क) के अधीन उसके द्वारा किए गए चुनाव को ऐसी प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी को जिसमें वह ऐसी अधिसूचना से पूर्व नामनिर्दिष्ट भागीदार का पद धारण कर रहा था और ऐसी प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी के संबंध में अधिकारिता रखने वाले रजिस्ट्रार को सूचित करेगा।";
	उपधारा (4)	"कंपनी" शब्द जहां कहीं भी आता है, के स्थान पर "सीमित दायित्व भागीदारी" शब्द रखे जाएंगे;
	उपधारा (5)	(i) "निदेशक" या "गैर-कार्यकारी निदेशक" शब्द जहां कहीं भी आते हैं, के स्थान पर "नामनिर्दिष्ट भागीदार" शब्द रखे जाएंगे; (ii) "इस अधिनियम के प्रारंभ" शब्दों के स्थान पर "इस अधिसूचना की तारीख" शब्द रखे जाएँगे;
	उपधारा (6)	उपधारा (6) में "निदेशक के रूप में कोई नियुक्ति स्वीकार करेगा" शब्दों के स्थान पर "नामनिर्दिष्ट भागीदार बनता है" शब्द रखे जाएंगे, (ii) "दंड का भागीदार" शब्दों के लिए "जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो पांच हजार रुपए से कम नहीं होगा, किंतु पच्चीस हजार रुपये से अधिक नहीं होगा" शब्द रखे जाएंगे।
4.	धारा 167	
	उपधारा (1)	(i) "निदेशक" शब्द जहां कहीं भी आता है, के स्थान "नामनिर्दिष्ट भागीदार" शब्द रखे जाएंगे; (ii) "कंपनी" शब्द जहां कहीं भी आता है, के स्थान पर "सीमित दायित्व भागीदारी" शब्द रखे जाएंगे; (iii) खंड (ख) का लोप किया जाएगा; (iv) "इस अधिनियम" शब्द के लिए "सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008" शब्द रखे जाएँगे; (v) खंड (ज) को लोप किया जाएगा;

	उपधारा (2)	"निदेशक" शब्द जहां कहीं भी आता है, के स्थान पर "नामनिर्दिष्ट भागीदार" शब्द रखे जाएंगे;
	उपधारा (3)	उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी:- "(3) जहां किसी सीमित दायित्व भागीदारी के सभी नामनिर्दिष्ट भागीदार उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी निरर्हताओं के अधीन अपना पद रिक्त कर देते हैं, तो भागीदार या, उसकी अनुपस्थिति में केंद्रीय सरकार, अपेक्षित संख्या में नामनिर्दिष्ट भागीदार नियुक्त करेगी जो उस समय तक पदधारण करेंगे जब तक सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा नामनिर्दिष्ट भागीदारों की नियुक्ति नहीं कर दी जाती।"।
5.	धारा 206 की उपधारा (5)	उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:- "(5) केंद्रीय सरकार, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि परिस्थितियों में ऐसा करने के उचित कारण है इस प्रयोजन के लिए उनके द्वारा नियुक्त किसी निरीक्षक द्वारा सीमित दायित्व भागीदारी की बहियों और कागज पत्रों के निरीक्षण का निदेश दे सकेगी।"
6.	धारा 207 की उपधारा (3)	"कंपनी" शब्द के स्थान पर "सीमित दायित्व भागीदारी" शब्द रखे जाएंगे।
7.	धारा 252	
	उपधारा (1)	(i) "धारा 248 के अधीन किसी कंपनी को विघटित रूप में अधिसूचित करने" शब्दों और अंकों के स्थान पर "सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम की धारा 75 के अनुसरण में किसी सीमित दायित्व भागीदारी को नाम काटने या विघटित रूप में अधिसूचित करने" शब्द और अंक रखे जाएंगे; (ii) "कंपनी" शब्द जहां कही भी आता है, के स्थान पर, "सीमित दायित्व भागीदारी" शब्द रखे जाएंगे; (iii) "कंपनियों के रजिस्टर" शब्द आता है, के स्थान पर "सीमित दायित्व भागीदारी का रजिस्टर" शब्द रखे जाएंगे;
	उपधारा (2)	(i) "कंपनी" शब्द दोनों स्थानों पर वहां आया है, के स्थान पर, "सीमित दायित्व भागीदारी" शब्द रखे जाएंगे; (ii) "कंपनियों के रजिस्टर" शब्दों के स्थान पर, "सीमित दायित्व भागीदारी का रजिस्टर" शब्द रखे जाएंगे;
	उपधारा (3)	(i) "सदस्य" शब्द दोनों स्थानों पर वहाँ आया हो, के स्थान पर "भागीदार" शब्द रखा जाएगा; (ii) "कंपनी" शब्द जहां कहीं भी आता है, के स्थान पर "सीमित दायित्व भागीदारी" शब्द रखे जाएंगे; (iii) "कंपनियों का रजिस्टर" शब्द जहां कहीं भी आता है, के स्थान पर

		"सीमित दायित्व भागीदारी का रजिस्टर" शब्द रखे जाएंगे; (iv) "बीस वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पांच वर्ष" शब्द रखे जाएंगे; (v) "धारा 248 की उपधारा (5)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम की धारा 75 के अनुसरण में" शब्द और अंक रखे जाएंगें।
8.	धारा 439	
	उपधारा (1)	उपधारा (1) से स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :- "(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध उक्त संहिता के अर्थान्तर्गत में असंज्ञेय समझा जाएगा।";
	उपधारा (2)	उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी:- (2) "कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन ऐसे किसी अपराध जो किसी सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा या किसी नामनिर्दिष्ट भागीदारी या भागीदारों द्वारा या इसके कर्मचारियों द्वारा किया जाना अभिकथित है रजिस्ट्रार या सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार या इसकी ओर से केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के लिखित परिवाद पर के सिवाय, संज्ञान नहीं लेगा : परंतु इस उपधारा की कोई बात सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा अपने किन्हीं अधिकारियों के अभियोजन पर लागू नहीं होगी।"।
	उपधारा (3)	बिना उपांतरण के लागू
	उपधारा (4)	उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:- (4) उप-धारा (2) के उपबंध, सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन या विघटन के लिए ऐसे किसी अपराध की बाबत जो इस अधिनियम के अध्याय 13 में या नियमों में किसी विषय के बाबत किया गया अभिकथित है सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापक द्वारा की गई कार्रवाईयों पर लागू नहीं होंगे। स्पष्टीकरण- सीमित दायित्व भागीदारी का परिसमापक उप-धारा (2) के अर्थान्तर्गत सीमित दायित्व भागीदारी का अधिकारी नहीं समझा जाएगा।"।

[फा.सं.17/30/2018-सीएल-V]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th February, 2022

G.S.R. 110(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 67 of the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009), the Central Government hereby directs that the provisions of sections 90, 164, 165, 167, sub-section (5) of section 206, sub-section (3) of section 207, 252 and section 439 of the Companies Act,2013 (18 of 2013), shall apply to limited liability partnership, except where the context otherwise requires, with the modifications specified in Column (3) of the Table given below, from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:-

TABLE

S. No.	Part/Chapter/Section /Sub-section(s) in the Companies Act,2013	Modifications
(1)	(2)	(3)
1.	In section 90, in sub-section (1) to sub-section (11)	(i) for the word "shares", wherever it occurs, the word "contribution" shall be substituted; (ii) for the word "company" wherever it occurs, the words "limited liability partnership" shall be substituted; (iii) for the word "member" wherever it occurs, the word "partner" shall be substituted; (iv) for the word "officer" wherever it occurs, substitute the words "partner" or "designated partner" shall be substituted.
2.	In section 164	
	Sub-section (1)	(i) for the words "for appointment" wherever they occurs, the words "to become" shall be substituted; (ii) for the word "director" wherever it occurs, the words "designated partner" shall be substituted; (iii) for the word "company" wherever it occurs, the words "limited liability partnership" shall be substituted;
	Sub-section (2)	for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:- "(2) No person, who is or has been a director of a company or designated partner of limited liability partnership, as the case may be, which— (a) has not filed financial statements or the Statement of Account and Solvency or annual returns, as the case may be, for any continuous period of three financial years; or (b) has failed to repay the deposits accepted by it or pay interest thereon or to redeem any debentures on the due date or pay interest due thereon or pay any dividend declared and such failure to pay or redeem continues for one year or more, shall be eligible to become or continue as a designated partner of that limited liability partnership or to become designated partner in other limited liability partnerships for a period of five years from the date on which the said company or limited liability partnership fails to do so:

IndiaCode

		Provided that where a person becomes as a designated partner of a limited liability partnership which is in default of clause (a) or clause (b), he shall not incur disqualification for a period of six months from the date he becomes designated partner.”.
3.	In section 165	
	Sub-section(1)	for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:- “(1) No person shall become designated partner in more than twenty limited liability partnerships.”;
	Sub-section (3)	for sub-section (3), the following shall be substituted, namely:- “(3) Any person holding office as designated partner in limited liability partnerships more than the limits as specified in sub-section (1) ,immediately before this notification shall, within a period of one year from such notification ,- (a) choose not more than specified limit of those limited liability partnerships , as limited liability partnerships in which he wishes to continue to hold the office of designated partner; (b) resign his office as designated partner in the other remaining limited liability partnerships; and (c) intimate the choice made by him under clause (a),to each one of the limited liability partnerships in which he was holding the office of designated partner before such notification and Registrar having such jurisdiction in respect of each limited liability partnership.”;
	Sub-section (4)	for the word “company” wherever it occurs, the words “limited liability partnership” shall be substituted;
	Sub-section (5)	(i) for the words “director” or “non-executive director” wherever they occurs, the words “designated partner” shall be substituted; (ii) for the words “commencement of this Act”, the words “date of this notification” shall be substituted;
	Sub-section (6)	In sub-section (6), (i) for the words “accepts an appointment as a Director“, the words ”becomes a designated partner” shall be substituted; (ii) for the words “liable to a penalty” the words “punishable with fine which shall not be less than five thousand rupees but which may extend to twenty-five thousand rupees” shall be substituted.
4.	In section 167	
	Sub-section (1)	(i) for the word “director” wherever it occurs, the words “designated partner” shall be substituted; (ii) for the word “company” wherever it occurs, the words “limited liability partnership” shall be substituted; (iii) in proviso of clause (a), for the word “companies” the words “limited liability partnerships” shall be substituted; (iv) clause (b) shall be omitted; (v) for the words “this Act” the words “the Limited Liability Partnership Act, 2008”, shall be substituted; (vi) clause (h) shall be omitted;
	Sub-section (2)	for the word “director” wherever it occurs, the words “designated partner ” shall be substituted;

indiaCode

	Sub-section (3)	for sub-section (3), the following shall be substituted, namely:- "(3) where all the designated partners of limited liability partnership vacate their offices under any of the disqualifications specified in sub-section (1) , the partners or, in their absence, the Central Government shall appoint the required number of designated partners who shall hold office till the designated partners are appointed by the limited liability partnership .".
5.	In section 206, sub-section (5)	for sub-section (5), the following shall be substituted, namely:- "(5) The Central Government may, if it is satisfied that circumstances so warrant, direct inspection of books and papers of a limited liability partnership by an inspector appointed by it for the purpose.".
6.	In section 207, sub-section (3)	for the word "company", the words "limited liability partnership" shall be substituted.
7.	In section 252	
	Sub-section (1)	(i) for the words and figures "notifying a company as dissolved under section 248" the words and figures "notifying a limited liability partnership as struck off and dissolved pursuant to section 75" shall be substituted; (ii) for the word "company" wherever it occurs, the words "limited liability partnership" shall be substituted; (iii) for the words "register of companies" wherever they occur, the words "register of limited liability partnership" shall be substituted;
	Sub-section (2)	(i) for the word "company" occurring at both the places, the words " limited liability partnership" shall be substituted; (ii) for the words "register of companies", the words "register of limited liability partnership" shall be substituted;
	Sub-section (3)	(i) for the word "member", occurring at both the places the word "partner" shall be substituted; (ii) for the word "company" wherever it occurs, the words "limited liability partnership" shall be substituted; (iii) for the words "register of companies" wherever they occur, the words "register of limited liability partnership" shall be substituted; (iv) for the words "twenty years" the words "five year" shall be substituted; (v) for the words, brackets and figures "sub-section (5) of section 248", the words and figures "pursuance to section 75" shall be substituted.
8.	In section 439	
	Sub-section (1)	for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:- "(1) Notwithstanding anything in the Code of Criminal Procedure, 1973, (2 of 1974) every offence under this Act shall be deemed to be non-cognizable within the meaning of the said Code.";
	Sub-section (2)	for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:- "(2) No court shall take cognizance of any offence under this Act which is alleged to have been committed by any limited liability partnership or any designated partners or partners or employee thereof, except on the complaint in writing of the Registrar, or a partner of limited liability partnership, or of

IndiaCode

		a person authorised by the Central Government in that behalf: Provided that nothing in this sub-section shall apply to a prosecution by limited liability partnership of any of its officers .”;
	Sub-section (3)	applicable without modification;
	Sub-section (4)	for sub-section (4), the following shall be substituted, namely:- “(4) The provisions of sub-section (2) shall not apply to any action taken by the liquidator of a limited liability partnership in respect of any offences alleged to have been committed in respect of any of the matters in Chapter XIII of this Act or rules for winding up and dissolution of limited liability partnership. *Explanation.* - The liquidator of the limited liability partnership shall not be deemed to be an officer of the limited liability partnership within the meaning of sub-section (2).”.

[F. No. 17/30/2018-CL-V]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.02.12 16:51:52 +05'30'